संख्या-61/2017-2583 ई-2/तेरह-2017-24/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 10 नवम्बर,2017

विषय:-शोध एवं वैज्ञानिक उद्देश्य से औषधीय भांग की सीमित कृषि की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-53/दो-प्रा0डी0-218/शोध/भांग/2017-18, दिनांक 16 अक्टूबर,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें एन0डी0पी0एस0 एक्ट,1985 की धारा-14 के अन्तर्गत विशेष आदेश जारी कर औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनाबिस प्लान्ट की खेती की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-जी-57/बाम्बे हेम्प/प्राविधिक, दिनांक 15 जुलाई,2015 में यह कहा गया है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम,1910 की धारा-41(i) एवं (ii) तथा आबकारी मैनुअल खण्ड-1 में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर नियमावली बनाकर हेम्प प्लान्ट की खेती को नियंत्रित करने एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु खेती करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अत: वर्णित स्थिति में आपके उक्त पत्र दिनांक 16 अक्टूबर,2017 के प्रस्तर-6 में वर्णित शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम,1910 की धारा-41(i) एवं (ii) तथा आबकारी मैनुअल खण्ड-1 में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत नियमावली बनाकर एन0बी0आर0आई0, लखनऊ को औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनाबिस प्लान्ट की खेती की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in